NAME OF NEWSPAPER **हिन्दुस्तान** नई दिल्ली, रविवार, 14 मई 2023

हाईकोर्ट ने बस्ती विकास केंद्र खाली करने को कहा

आदेश

- **दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए लिया गया निर्णय, 14 मई का समय दिया गया**

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक एनजीओ को पूर्वी दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर बने बस्ती विकास केंद्र को खाली करने का निर्देश दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए इस जमीन की जरूरत है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) आशा कम्युनिटी हेल्थ डेवलपमेंट सोसाइटी से कहा कि वह 14 मई या उससे पहले अपना सारा सामान हटाकर बस्ती विकास केंद्र (बीवीके) को खाली कर दें। उच्च न्यायालय ने कहा कि एनएचएआई 15 मई से इसे गिराने या क्षेत्र में निर्माण गतिविधि के लिए स्वतंत्र होगा। एलिवेटेड कॉरिडोर पर काम पूरा होने के बाद बीवीके के पुनर्निर्माण कार्यक्रम पर सहमति के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), एनएचएआई और दिल्ली विकास प्राधिकरण/रेलवे अधिकारियों के बीच एक बैठक आयोजित की जाएगी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इन समग्र परिस्थितियों में, अदालत एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण और बीवीके के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की इच्छुक नहीं है। उच्च न्यायालय एनजीओ की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि 27 अप्रैल को गांधीनगर क्षेत्र में स्थित बीवीके को गिराने के लिए बुलडोजर आए थे। इस संबंध में याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे बीवीके चलाने के लिए डीयूएसआईबी द्वारा परिसर आवंटित किया गया था और तदनुसार, इस तथ्य को चुनौती दी गई है कि बिना नोटिस के केंद्र को ढहाने का प्रयास किया गया। इसने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने या किसी वैकल्पिक जगह के आवंटन का भी अनुरोध किया।

NAME OF NEWSPAPERS--- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 14 मई, 2023)ATED---------------------

बस्ती विहार केंद्र खाली करे एनजीओ : हाई कोर्ट

दूर हुई दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे की बाधा

- अदालत एलिवेटेड कारिडोर के निर्माण और बीवीके के विध्वंस पर रोक लगाने की इच्छुक नहीं
- 14 मई तक बोरिया-बिस्तर बांधे एनजीओ, 15 से निर्माण के लिए एनएचएआइ इसे गिराने को स्वतंत्र

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर बने बस्ती विहार केंद्र (बीवीके) को खाली करने का गैरसरकारी संगठन आशा कम्युनिटी हेल्थ डेवलपमेंट सोसायटी को निर्देश दिया है। इस सार्वजनिक भूमि की दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को जरूरत है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह की पीठ ने कहा कि अदालत एलिवेटेड कारिडोर के निर्माण और बीवीके के विध्वंस पर रोक लगाने की इच्छुक नहीं है। एनजीओ 14 मई तक बीवीके को खाली करे। 15 मई से एनएचएआइ इसे गिराने के लिए स्वतंत्र होगा।

अदालत ने कहा कि एलिवेटेड कारिडोर पर काम पूरा होने के बाद बीवीके के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम पर सहमति के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब), एनएचएआइ और दिल्ली विकास प्राधिकरण/रेलवे अधिकारियों के बीच एक बैठक की जाएगी। एनजीओ ने याचिका दायर कहा था कि 27 अप्रैल को गांधी नगर इलाके में उसके बीवीके परिसर को बुलडोजर से गिराने का प्रयास किया गया, जबकि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। यह भी दावा किया कि उसे बीवीके चलाने के लिए डूसिब द्वारा परिसर आवंटित किया गया था। एनजीओ ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की थी।

एनएचएआइ ने दलील दी कि बीवीके के आवंटन की शर्तें ही स्पष्ट करती हैं कि याचिकाकर्ता संगठन का जमीन पर कोई दावा नहीं होगा। एनएचएआइ ने डीडीए को तीन करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। इस क्षेत्र का उपयोग दिल्ली और देहरादून को जोड़ने वाले एलिवेटेड कारिडोर के निर्माण के लिए किया जा रहा है। वहीं, डूसिब ने कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए एनएचएआइ द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी है और बीवीके सरकारी भूमि पर स्थित है और याचिकाकर्ता द्वारा इस पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। क्षेत्र में दो अन्य मोहल्ला क्लीनिक और एक दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है।

एनडीएमसी पैनल के अस्पताल को काली सूची में डालने की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: नई दिल्ली नगर पालिका परिसद (एनडीएमसी) के पैनल में शामिल अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए काली सूची में डालने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एनडीएमसी से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अस्पताल की घोर लापरवाही के कारण उसकी 10 वर्षीय बेटी की वर्ष 2001 में मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने एनडीएमसी, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और आरएलकेसी मेट्रो अस्पताल को नोटिस जारी कर आठ सप्ताह में जवाब मांगा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय
DELHI HIGH COURT

घटना के बाद एनडीएमसी ने अस्पताल की उस शाखा के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया था। हालांकि, एनडीएमसी कर्मचारी व याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार चौधरी ने सभी शाखाओं को पैनल से हटाने की मांग की। चौधरी ने अपने विभाग के एक पूर्व निदेशक के खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की।

चौधरी ने 21 अक्टूबर 2011 को अपनी बेटी रितु कुमारी को डेंगू के इलाज के लिए अस्पताल की पांडव नगर शाखा में भर्ती कराया था। आरोप है कि बच्ची को उचित देखभाल नहीं मिली और उसे आइसीयू में स्थानांतरित करना पड़ा। बेटी की हालत और गंभीर हो गई और फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 26 अक्टूबर 2011 को उसका निधन हो गया।

मामले में वर्ष 2014 में तत्कालीन निदेशक (कल्याण) ओपी मिश्रा की शिकायत पर एक प्राथमिकी की गई थी। हालांकि, चौधरी का आरोप है कि पुलिस ने उचित जांच नहीं की और मामला बंद कर दिया।

पुलिस वैज्ञानिक परीक्षण के संबंध में निर्देशों को लेकर याचिका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: जांच के दौरान पुलिस को नार्को विश्लेषण, पालीग्राफ और ब्रेन मैपिंग जैसे वैज्ञानिक परीक्षण करने और अपना बयान दर्ज करने का निर्देश देने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। भाजपा नेता व याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका में कहा कि पुलिस को जांच के लिए वैज्ञानिक परीक्षण करने का निर्देश देने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत में धोखे का पता लगाने वाले परीक्षण का उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, इसलिए पुलिस स्टेशन व अदालतें फर्जी मामलों से भरी पड़ी हैं।

उन्होंने पुलिस को यह भी निर्देश देने की मांग की कि वह आरोपित से पूछे कि क्या वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नार्को एनालिसिस, पालीग्राफ और ब्रेन मैपिंग से गुजरने के लिए तैयार है और आरोपपत्र में अपना बयान दर्ज कर सकता है।

उपाध्याय ने कहा कि फर्जी मामलों को नियंत्रित करने और पुलिस जांच में लगने वाले समय को कम करने के लिए भारत के विधि आयोग को एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि इससे न्यायिक समय के साथ-साथ पुलिस जांच में लगने वाले समय की बचत होगी और फर्जी मामलों में भारी कमी आएगी।

NAME OF NEWSPAPERS । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 15 मई 2023 ATED-----------------------

SC के फैसले के बाद LG कम सक्रिय, लेकिन यमुना पर बना रहेगा फोकस

उपराज्यपाल के निर्देश पर शुरू की गई थीं यमुना किनारे कई परियोजनाएं

■ **विशेष संवाददाता, नई दिल्ली**

दिल्ली में सर्विसेज पर अधिकार के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद से उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सक्रियता में अचानक से कमी आ गई है। चूंकि अब कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर अन्य सभी मामलों में एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से काम करना होगा, ऐसे में माना यही जा रहा है कि एलजी भी काफी सोच विचार कर ही अब आगे कोई कदम उठाएंगे।

File Photo

एलजी यमुना पर एनजीटी की उच्चस्तरीय निगरानी समिति के मुखिया भी हैं

एलजी दिल्ली में होने वाली आगामी जी-20 समिट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की खुद निगरानी कर रहे थे। साथ ही, यमुना की सफाई और कूड़े के निपटारे (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) पर भी उनका विशेष ध्यान था और इसके लिए वे लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें भी कर रहे थे। यमुना किनारे कई परियोजनाएं तो उन्हीं के निर्देश पर शुरू की गई थीं। सूत्रों ने बताया कि एलजी यमुना की सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एनजीटी द्वारा गठित की गई उच्चस्तरीय निगरानी समितियों के मुखिया भी हैं। ऐसे में यमुना की सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में वह आगे भी उसी सक्रियता के साथ काम करते दिखाई देंगे, जैसा कि वे अभी तक करते आ रहे थे।

हालांकि, इस मामले में दिल्ली सरकार के अन्य विभागों से सहयोग लेने में उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा डीडीए, दिल्ली पुलिस और अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य विभागों से जुड़े कामों में भी एलजी की सक्रियता कायम रहेगी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट नें अपने आदेश में एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से ही काम करने के लिए कहा है, इसलिए अब पीडब्ल्यूडी, पावर, दिल्ली जल बोर्ड, वन एवं पर्यावरण, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण जैसे वो तमाम विभाग, जो सीधे तौर पर सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनसे जुड़े कामों को लेकर एलजी की भूमिका में बदलाव देखने को मिल सकता है।

इस बीच चूंकि सर्विसेज विभाग के सचिव के द्वारा तबादले के आदेश की अनदेखी करने के बाद दिल्ली सरकार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा है, इस वजह से अधिकारियों के बीच भी अभी काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जानकारों का कहना है कि अब जब तक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की इस याचिका पर फैसला नहीं सुना देता है, तब तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। फिलहाल, न तो एलजी किसी प्रकार की जल्दबाजी के मूड में दिख रहे हैं और ना ही सरकार कोई उतावलापन दिखा रही है। सभी को कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार है।

> **माना यही जा रहा है कि एलजी काफी सोच विचार कर ही अब आगे कोई कदम उठाएंगे**

द्वारका : अक्सर हो रहा नाला ओवरफ्लो

■ **विस, द्वारका :** द्वारका सेक्टर-14 में नाला ओवरफ्लो होने की वजह से सड़क पर पानी भर गया है। एनबीटी सुरक्षा कवच के द्वारका ग्रुप से जुड़े मारिदास प्रधान के अनुसार मामला द्वारका के मेट्रो कॉरिडोर के नीचे का है। सेक्टर-14 के पास डीडीए का नाला ओवरफ्लो हो रहा है। मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाले लोगों को तो परेशानियां हो रही हैं ट्रैफिक भी यहां पर स्लो हो गया है। डीडीए के अनुसार शिकायत पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी DELHI 13 मई, 2023 ▶ शनिवार

APERS

खाली भूखंड पर पार्क बनवाने की मांग

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): गांधीनगर के विधायक अनिल बाजपेई ने अपने विधानसभा क्षेत्र में डीडीए से संबंधित समस्याओं को लेकर प्राधिकरण के वीसी शुभाशीष पांडा से मुलाकात की और मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस मुलाकात के दौरान उनके साथ अधिकार मंच के अध्यक्ष मोहन सिंह भी मौजूद रहे। अनिल बाजपेई ने डीडीए वीसी को बताया कि गांधी नगर विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री पार्क इलाके में सी-ब्लॉक के हनुमान मंदिर के सामने डीडीए का एक भूखंड खाली पड़ा हुआ है। कई बार भूमाफिया इस पर कब्जे की कोशिश कर चुके हैं। इसे रोकने के लिए डीडीए ने चारदीवारी भी कराई, मगर धीरे-धीरे वह टूट गई है। शास्त्री पार्क में तीस हजार से ज्यादा की आबादी है, मगर यहां बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है। उन्होंने डीडीए वीसी से इस खाली पड़े भूखंड पर जल्द से जल्द पार्क बनवाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक पार्क का काम शुरु हो, उससे पहले इस भूखंड की चारदीवारी कर इसे सुरक्षित किया जाए। यहां पर भूमाफिया पहले ही डीडीए के काफी जमीन कब्जा कर चुके हैं। तीस साल पहले यहां एक पार्क हुआ करता था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा भी लगी हुई थी। वह पार्क व प्रतिमा सालों पहले गायब हो गई हैं। विधायक ने कांतीनगर में महाराणा प्रताप पार्क में चल रहे सौंद्रीयकरण के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि गांधीनगर में शांति मोहल्ला सब्जी मंडी और कांतीनगर पोली क्लिनिक के पीछे अवैध रूप से चल रही पार्किंग को हटाया जाए। शास्त्री पार्क में डीडीए के खाली पड़े 450 मीटर के प्लॉट पर भरे कूड़े को हटवाया जाए।

पंजाब केसरी DELHI 15 मई, 2023 ▶ सोमवार

एमसीडी के 250 पार्कों में पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध!

महिलाओं के लिए बन रहे हैं सभी वार्डों में पिंक पार्क

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अपने सभी 250 वार्डों में जल्द ही 'गुलाबी पार्क' का निर्माण किया जाएगा। जिसमें केवल महिलाओं के प्रवेश की ही अनुमति होगी। निगम ने सभी स्थानीय पार्षदों को अपने-अपने वार्ड में जगह चिह्नित करने की बात कही है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर माता सुंदरी रोड पर इसी तरह का एक पार्क बनाया गया था और पार्क के अंदर महिलाओं और 10 के बच्चों को जाने की अनुमति है।

दिल्ली के उप महापौर आले मोहम्मद इकबाल ने कहा कि इसी मॉडल को अन्य वार्डों में दोहराया जाएगा। आले इकबाल ने कहा कि हाल ही में, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक बैठक में, मैंने पुरानी दिल्ली में अपने वार्ड (चांदनी महल) में एक 'गुलाबी पार्क' को स्थापित करने के लिए कहा और सुझाव दिया कि इस तरह के पार्क सभी वार्डों में स्थापित किए जा सकते हैं। जिसमें मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी। जिसके बाद एमसीडी में बैठक की गई। इकबाल ने बताया कि इन 'गुलाबी पार्कों' में शौचालय, सीसीटीवी कैमरे, जिम की सुविधा और दीवारों पर भित्तिचित्र होंगे ताकि महिलाओं को बागवानी के लिए आरामदायक जगह मिल सके। वर्तमान में एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में लगभग 15,000 पार्क हैं। यह कुछ ऐतिहासिक पार्कों जैसे सुभाष पार्क (एक सदी पहले एडवर्ड पार्क के रूप में स्थापित और आजादी के बाद इसका नाम बदलकर), रोशनआरा बाग, कुदसिया बाग और आवासीय पड़ोस में कई छोटे पार्कों का रखरखाव भी करता है। शहर में कई पार्क और बागवानी स्थान भी दिल्ली विकास प्राधिकरण, शहर सरकार के लोक निर्माण विभाग और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में हैं।

◦ फाइल फोटो

वर्तमान में एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में लगभग 15,000 पार्क हैं

नई दिल्ली। शनिवार • 13 मई • 2023 राष्ट्रीय सहारा

जलभराव वाले स्थलों को चिह्नित करें अफसर

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली की मेयर डा. शैली ओबरॉय ने मानसून को लेकर दिल्ली नगर निगम की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मॉनसून के दौरान जलभराव न हो और नागरिकों को असुविधा न हो। मेयर डा. शैली ओबरॉय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समय से पहले ही सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं।

दिल्ली नगर निगम के सिविक सेंटर स्थित मुख्यालय में शुक्रवार को मानसून को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इसमें सभी 12 जोन के अधिकारियों के साथ विस्तृत प्लान पर चर्चा के साथ नालों से गाद निकालने के कार्य की समीक्षा भी की गई।

बैठक में मेयर डा. शैली ओबरॉय ने कहा कि उन सभी संवेदनशील स्थलों की पहचान की जाए, जहां अक्सर जलभराव होता है। रानीखेड़ा क्षेत्र, बक्करवाला, नजफगढ़, नरेला और महरौली क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक जलभराव होता है। उन स्थलों के लिए विशेष योजना बनायी जाए। मानसून के दौरान जलभराव न हो। योजना के मुताबिक नालों से गाद निकालने का कार्य पूरा कर लिया जाए।

मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि नालों की सफाई और जलभराव को रोकने के लिए प्रत्येक माह में दो बार समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। पीडब्ल्यूडी, डीडीए और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। दिल्ली में मानसून के दौरान सड़कों को जलमग्न होने से रोकें।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि निगम के पास करीब 40 सक्शन कम जेटिंग, मशीनें, पंप-सेट, सुपर सकर मशीनें आदि उपलब्ध हैं। नालों से गाद निकालने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इसे लक्ष्य से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली नगर निगम यह सुनिश्चित करेगा कि मॉनसून के दौरान जलभराव न हो और नागरिकों को असुविधा न हो।

■ मानसून की तैयारियों को लेकर मेयर ने की उच्च स्तरीय बैठक

NAME OF NEWSPAPER पंजाब केसरी DELHI 14 मई, 2023 ▸ रविवार ED---------------------

प्रिलिम्स एग्जामः 22 मई को यूपीएससी में होने वाली मीटिंग में शामिल होने के दिए निर्देश

दास कैडर के 141 अधिकारी बने निरीक्षक

- ब्रीफिंग में हिस्सा नहीं लेने पर अधिकारियों के खिलाफ हो सकती है कड़ी कार्रवाई

अमित कुमार

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा 28 मई 2023 को आयोजित होने वाले सिविल सर्विसेज (प्रिलिम्स) एग्जाम के लिए दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों व दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में प्रतिनियुक्ति पर तैनात ग्रेड-1 (दास) कैडर के 141 अधिकारियों को निरीक्षक अधिकारी बनाया गया है।

इसके अलावा 64 अधिकारियों को रिजर्व लिस्ट में रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें एग्जाम सेंटरों में स्थिति के अनुसार तैनात किया जा सके। इन सभी अधिकारियों को 22 मई को यूपीएससी द्वारा आयोजित एक ब्रीफिंग मीटिंग में हिस्सा लेना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सर्विसेज विभाग के सचिव ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभाग प्रमुखों व डीडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर अवगत कराया है। इसमें बताया गया है कि प्रिलिम्स एग्जाम के मद्देनजर नियुक्त किए गए निरीक्षक अधिकारियों की 22 मई को यूपीएससी में एक ब्रीफिंग मीटिंग होगी। इसमें सभी अधिकारियों को एग्जाम के दौरान जरूरी दायित्व व जिम्मेदारियों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही एग्जाम के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों व अन्य प्रोटोकॉल के बारे में भी बारीकी से जानकारी दी जाएगी। इसीलिए मीटिंग में सभी नामांकित निरीक्षक अधिकारियों को मौजूद रहना अनिवार्य है।

मीटिंग से छूट व अन्य विकल्प आदि दिए जाने के बारे में विभाग कोई विचार नहीं करेगा। निर्देशों का पालन करना प्रत्येक अधिकारी के हर हाल में अनिवार्य होगा। इनके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी निरीक्षक अधिकारी एग्जाम से एक दिन पहले 27 मई को भी एग्जाम सेन्टर का दौरा करके वहां मौजूद सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। इस बारे में एक निरीक्षक अधिकारी ने बताया कि इस दौरान हमें एग्जाम संबंधी सभी बेसिक निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराना है। सेंटर पर परीक्षार्थियों की एंट्री देखनी है कि यह पैरामीटर के अनुसार हो रही है या नहीं। रूम में देखना होगा कि छात्र अलॉटिड सीट पर बैठे हैं या नहीं। साथ ही देखना होगा कि क्या इंविजिलेटर सही तरीके से साइन कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों को होने वाली किसी भी परेशानी का उचित तरीके से समाधान कराना भी निरीक्षक अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। आपको बता दें कि यूपीएससी प्रिलिम्स एग्जाम के लिए आवेदन एक फरवरी से 21 फरवरी तक चले थे। 28 मई 2023 दिल्ली सहित सहित देशभर के विभिन्न हिस्सों में प्रिलिम्स एग्जाम आयोजित होगा। इस बार सिविल सेवा परीक्षा 2023 के जरिए कुल 1105 पदों पर भर्ती होगी।

NAME OF NEWSPAPERS----- THE HINDU ----------------DATED--14/05/2023----

City agencies seek to delist 232 out of 1,045 waterbodies

Nikhil M Babu
NEW DELHI

The Wetland Authority of Delhi (WAD) has received requests to delete 232 waterbodies, i.e. 22.2% of the total 1,045, from its records, according to data accessed by *The Hindu*.

The requests have been made by some of the 16 agencies that own waterbodies in the city. Around the same time last year, the WAD had received requests to delete 214 waterbodies.

"An agency makes such a request on various grounds, including waterbodies being encroached upon or drying up," an official source said, adding that the WAD is yet to act on the requests.

The Delhi Development Authority (DDA) has sought the deletion of 223 of the 822 waterbodies it owns. The urban body comes under the Central government and the Lieutenant-Governor is its ex-officio chairperson.

According to the source, data from earlier surveys were used to arrive at 1,045 as the total number of waterbodies. The WAD has prepared 'brief documents' for 710 of them, while the rest are either encroached upon or their owners are yet to be identified or determined, according to official data.

Wetlands support a host of animal and plant life and are important for mitigation of flooding. FILE PHOTO

Each 'brief document' contains important details of a waterbody. After scrutiny by a technical committee, waterbodies with 'brief documents' are notified as wetlands if they fit the definition. This gives waterbodies legal protection and also facilitates efforts to rejuvenate them. The government is also carrying out a ground truthing exercise, or a verification, of waterbodies.

Wetlands support a host of animal and plant life and are critically important for mitigation of urban flooding – a major issue in Delhi – as they can store excess water. They also help purify and store water, recharge groundwater, control erosion, and aid microclimate regulation.

'Dip in numbers'

"According to a 1997 survey, Delhi had over 1,000 waterbodies, but it is now left with less than 700," said Suresh Kumar Rohilla, programme lead at International Water Association.

Mr. Rohilla said that the Najafgarh lake was spread across 80 sq. km in 1883, as per records, but now it has shrunk to 5 sq. km.